न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 20/2014

दायर दिनांकः– 26/08/2014
निर्णय दिनांकः– 05/06/2015

1:– श्री नाथू पिता लालू डामोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सुखापादर, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1:– श्री नगजी पिता लालू डामोर उम्र 52 वर्ष पेशा खेती।
2:– श्री हुका पिता लालू डामोर उम्र 48 वर्ष पेशा खेती ।
3:– श्री राजमल पिता कलजी डामोर उम्र 25 वर्ष पेशा खेती।
4:– श्री थावरा पिता नगजी डामोर उम्र 38 वर्ष पेशा खेती ।
5:– श्री प्रकाश पिता नगजी डामोर उम्र 32 वर्ष पेशा खेती ।
6:– श्री भेमजी पिता कानजी डामोर उम्र 50 वर्ष पेशा खेती निवासीयान सुखापादर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राज.।

–प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट।

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वनखण्ड काठल से आवंटित कृर्षि भूमि है वादी का वन भूमि पर चिरकालिन कब्जा होने से जिला कलेक्टर डूंगरपुर द्वारा उपाबन्ध 2 नियम 8 ज के अन्तर्गत अधिभोग के अधीन वनभूमि के लिये हक का पट्टा वन खण्ड काठल के खसंरा / कम्पाटमेन्ट सं 441 में 0.90 हैक्टर भूमि मौजा सुखापादर में आवंटित हो कर उसका पट्टा मिसल सं 959/09 दिनांक 07.12.2009 को मण्डलिय वन अधिकारी , जिला जनजाति कल्याण अधिकारी एवं जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर द्वारा जारी कर वादी को दिया गया है उक्त भूमि पर वादी काबिज हो काश्त करता आ रहा हे। वादी एवं प्रतिवादी एक ही गांव के निवासी है। वादी के उक्त वर्णित भूमि को लेकर प्रतिवादीगण आये दिन लडाई झगडा कर रहे है। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है। कि उक्त भूमि पर हमारा भी हक है। उक्त भूमि हमारी है हम तुझे इस पर काश्त नहीं करने देगें उक्त भूमि को प्रतिवादीगण वादी को डरा धमका कर हडप लेना चाहते है। वनखण्ड काठल की भूमि वादी काबिज हो काश्त करता आ रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि उसके कब्जेदारी एवं खातेदारी की हो उसका उपभोग वादी करता आ रहा है। वादी की वनखण्ड काठल की कृर्षि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण करने की नियत से उक्त भूमि पर हल चला दिया गया एवं वादी को कृर्षि करने से रोक उसके साथ मार पीट जून 2014 में कि गई । जिस पर वादी ने गांव व पंचायत में इसकी शिकायत की फिर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है। और वादी को उक्त भूमि पर आने–जाने एवं कृर्षि कार्य करने में रूकावट पैदा कर रहे है। उक्त कृर्षि भूमि पर प्रतिवादीगण को रोके जाने पर भी वह नहीं मान रहे और जबरन वादी के खातेदारी की कृर्षि भूमि पर अतिक्रमण करने उतारू हो रहे है वादी के द्वारा उन्हें रोके जाने पर भी नही मान रहे और वादी को डरा धमका तथा उसके साथ मारपीट कर जबरन अतिक्रमण करने उतारू हो रहे है। जिससे उसे रोका जाना निहायत ही आवश्यक है। वादी की कृर्षि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.06.2014 को रोके जाने पर

Scanned by CamScanner

नहीं मान अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने की नियत से जबरन कार्य निरन्तर करते रहने से वाद कारण पैदा हो रहा है। वादी की कृर्षि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण करने के आशय से कराये जा रहे कार्य को स्थाई निषेघाज्ञा से रोका जाना निहायत ही आवश्यक है नही तो वादी को अपूर्णयक्षति हो वह अपनी ही कृर्षि भूमि के उपयोग–उपभोग से वचित हो जायेगा। वादी के जिला कलक्टर महोदय डूंगरपुर द्वारा उपाबन्ध 2 नियम 8 ज के अन्तर्गत अधिभेग के अधीन वनभूमि के लिये हक का पट्टा वन खण्ड काठल के खसंरा /कम्पाटमेन्ट सं 441 में 0.90 हैक्टर भूमि मौजा सुखापादर में आवंटित भूमि पर प्रतिवादीगण न तो स्वंय न अपने किसी ऐजेन्ट , रिश्तेदार , ठेकेदार से किसी प्रकार का अतिक्रमण कार्य करें और न करावें । वादी की कृर्षि भूमि के वादी के उपयोग में प्रंतिवादीगण किसी प्रकार की रूकावट पैदा न करें।

प्रतिवादीगणमय वकील न्यायालय में अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में वकील वादी द्वारा साक्ष्य न पेशकर बहस की गई । एकतरफा बहस सुनी गई। निर्णय निम्नानुसार है।–

प्रकरण में वादी द्वारा एक अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिये हक का जिला कलक्टर महोदय, डूंगरपुर द्वारा जारी पट्टा मिसल सं 959/09 दिनांक 07/12/2009 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अनुसार ग्राम सूखापादर ग्राम पंचायत वगेरी में वादी को 0.90 हैक्टेयर वन भूमि कृर्षि कार्य हेतु आवंटित हुई है। जिस पर वादी काश्त कर रहा है। चूकिं प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वादी के दावे को स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को आवण्टित भूमि पर अतिक्रमण न करें तथा वादी को उक्त कृर्षि भूमि के उपयोग व उपभोग में बाघा कारित न करें। इंस आशय की डिक्री जारी हों। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हों।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner